

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- शिवाड़ा

प्रकरण संख्या:- 290/25

दिनांक:- 3-10-2025

उनवान

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

श्री हनुमान पुत्र रामपाल
जाति भीना

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, मट्टपारी हल्का शिवाड़ा A भू. अ. नि. शिवाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम शिवाड़ा प. 0 ह. 0 शिवाड़ा A की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 119 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	नाम दोहरीकरण	हनुमान पुत्र रामपाल हि- 1/3 हनुमान पुत्र रामपाल हि- 1/3	हनुमान पुत्र रामपाल हिल्सा - 2/3 शेष अंफन बदलदूर

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री हनुमान पुत्र रामपाल जाति भीना हि. 0. म. 0. 0. 0.

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

